(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 211–दो/90 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–90 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक अपील 280/1977–78.

ज्ञानचन्द पिता टीकम
निवासी डेली कॉलोज, इन्दौर
तथा अंजदा
तहसील मनावर जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– त्रिंबक पिता महादेव (मृत) वारिसान–
(1) श्रीमती सुभद्राबाई पति स्व. श्री त्रिम्बक
निवासी अंजदा
तहसील मनावर जिला धार
(2) श्रीमती बेबी पति मुरली
निवासी गंधापाल
(3) श्रीमती शहना पति नंदकिशोर
निवासी उरदना
(4) मुनी पिता स्व. श्री त्रियम्बक
निवासी अंजदा
तहसील मनावर जिला धार
(5) राजु पिता स्व. श्री त्रिम्बक
निवासी अंजदा
तहसील मनावर जिला धार
(6) आनंदिया पिता स्व. श्री त्रिम्बक
निवासी अंजदा
तहसील मनावर जिला धार
2– गोविन्दराम पिता काशीनाथ
3– लक्ष्मीनारायण पिता काशीनाथ
4– गणपति पिता काशीनाथ
निवासीगण ग्राम देदला, तहसील मनावर
5– सावित्रीबाई पिता काशीनाथ
निवासी महेश्वर जिला खरगोन
6– सतीश पिता चंपालाल
निवासी ग्राम मोयदा, तहसील सेंधवा
7– रमेश पिता चंपालाल
निवासी सदर

8– वीरेन्द्र पिता चंपालाल
निवासी सदर
9– सुशीलाबाई पिता चंपालाल
निवासी सदर
10– उर्मिलाबाई पिता चंपालाल
निवासी सदर
11– जयंतीबाई पिता चंपालाल
निवासी सदर
12– बसंतीबाई पिता चंपालाल
निवासी सदर
13– सांताबाई बेवा चंपालाल
निवासी सदर
14– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार, मनावर
जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री एच0एन0 फड़के, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक 7 से 13

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–90 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, मनावर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अंजदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 361/1 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा उसके द्वारा त्रिम्बक राव से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये। तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 43 पर आदेश दिनांक 12–10–74 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी–मनावर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–4–78 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक

27–7–90 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश इस आधार पर अवैध माना है कि उसके द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा भी आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि शामिलाती खाते की भूमि में से यदि एक हिस्सेदार द्वारा विकय की जाती है तो ऐसा विकय पत्र अवैध नहीं माना जा सकता है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत था, जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर अपर आयुक्त के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिये आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि शामिलाती खाते की है, और उसमें से किसी एक सहखातेदार द्वारा भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसे अवैध विकय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाकर कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण कार्यवाही में चम्पालाल जो कि सहखातेदार था, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । विकय भी सभी सहखातेदारों ने नहीं किया, के आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को पुनः तहसील न्यायालय में नामांतरण की विधिवत कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गई है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक यदि उसे विधिवत स्वत्व प्राप्त हुए हैं तो नियमानुसार पुनः तहसील न्यायालय में नामांतरण का अनुरोध कर सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–90 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर